

प्रेस विज्ञप्तिथाना देवगांवहत्या का प्रयास करने वाले 04 मुख्य अभियुक्त गिरफ्तार**पूर्व की घटना का विवरण-**

दिनांक 17.06.2024 को वादी मुकदमा प्रमोद कुमार वर्मा पुत्र स्व0 हरि प्रसाद वर्मा निवासी लहुआ खुर्द थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दिया कि विपक्षी शौकत पुत्र शाह मोहम्मद निवासी लहुवां खुर्द थाना देवगांव आजमगढ़, 2.रुकसाना पत्नी सलीम निवासी लहुवां खुर्द थाना देवगांव आजमगढ़, 3. शमीम पुत्र शेख छेदी लहुवां कला थाना देवगांव आजमगढ़, 4.सितारुन पत्नी अमीर निवासी लहुवां कला थाना देवगांव आजमगढ़ आदि द्वारा एक राय होकर घर की बाउन्डी को तोड़ना जिससे मना करने पर अभियुक्त समीम द्वारा ललकारते हुए सभी अभियुक्तों के साथ जान मारने की नियत से गला दबाने लगा जिसमें शोर सुनकर जब वादी व उसका लडका- लडकी द्वारा शोर मचाना जिससे घर में घुस कर मारना पीटना तथा ईट पत्थर चलाना, घर में लगा सीसीटीवी, कार व मोटरसाईकिल तोड़कर क्षतिग्रस्त कर नुकसान कर देना घर के जानवारों को मारना पीटना जिससे अफरा तफरी का माहौल हो जाने तथा जाते समय गाली गलौज व धमकी देना व दीवार व गेट गिरा देने के सम्बन्ध में थाना देवगांव पर मु0अ0स0 238/2024 धारा 147,149,323,504,506,327,336,427,307 भादवि व 7 सी.एल.ए. एक्ट में पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना 30नि0 सुल्तान सिंह चौकी प्रभारी पल्हना थाना देवगांव आजमगढ़ द्वारा संपादित किया जा रहा है।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 17.06.2024 को 30नि0 सुल्तान सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त शौकत पुत्र शाह मोहम्मद, रुकसाना पत्नी सलीम निवासी लहुवां खुर्द थाना देवगांव आजमगढ़ व शमीम पुत्र शेख छेदी, सितारुन पत्नी अमीर निवासीगण लहुवां कला थाना देवगांव आजमगढ़ को अभियुक्त शौकत के घर से कारण गिरफ्तारी बताते हुए समय 13.20 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान किया गया है।

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

1-मु0अ0स0 238/2024 धारा 147,149,323,504,506,327,336,427,307 भादवि व 7 सी.एल.ए. एक्ट थाना देवगाव जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. शौकत पुत्र शाह मोहम्मद निवासी लहुवां खुर्द थाना देवगांव आजमगढ़
2. रुकसाना पत्नी सलीम निवासी लहुवां खुर्द थाना देवगांव आजमगढ़
3. शमीम पुत्र शेख छेदी लहुवां कला थाना देवगांव आजमगढ़
4. सितारुन पत्नी अमीर निवासी लहुवां कला थाना देवगांव आजमगढ़

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम-

1. 30नि0 सुल्तान सिंह चौकी प्रभारी पल्हना थाना देवगांव आजमगढ़
2. का0 अप्पू वर्मा चौकी पल्हना थाना देवगांव आजमगढ़
3. का0 गिरिजेश शर्मा चौकी पल्हना थाना देवगांव आजमगढ़
4. का0 सुदीप यादव चौकी पल्हना थाना देवगांव आजमगढ़
5. का0 पवन कुमार गौड़ चौकी पल्हना थाना देवगांव आजमगढ़
6. म0का0 प्रतिभा मिश्रा थाना देवगांव आजमगढ़
7. म0का0 सोनी चौरसिया थाना देवगांव आजमगढ़

थाना जहानागंज
चोरी के अभियोग में 02 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना-

दिनांक 16.06.2024 को वादी श्री रामनवल कनौजिया S/O स्व0 नन्हकू राम ग्राम नेतपुर पो0 बड़हलगंज जहानागंज आजमगढ़ द्वारा प्रार्थनापत्र दिया गया कि मेरे गांव के जिनोद यादव S/O रामबृक्ष यादव व संदीप यादव व मनीष यादव उक्त सभी लोग मेरे गोदाम जो मेरे बाग मे है दिनांक 14.06.2024 की रात्रि मे गोदाम का करकट हटाकर सरकारी खादान्न 10 बोरी चावल चोरी कर ले गये जिसके सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु.अ.स. 303/2024 धारा 457/380 भादवि बनाम जिनोद यादव , संदीप यादव व मनीष यादव के पंजीकृत कर विवेचना उ.नि. सुधांशु मिश्रा द्वारा सम्पादित की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक- 17.06.24 को उ0नि0 सुधांशु मिश्रा मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त संदीप यादव पुत्र राम किशन यादव निवासी नेतपुर थाना जहानागंज आजमगढ़ व जिनोद यादव पुत्र रामबृक्ष यादव निवासी नेतपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ को मन्दे बाजार से समय करीब 12.30 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। जिनके पास से 960 रूपये नगद बरामद हुआ। पूछताछ मे जुर्म को स्वीकार करते हुए बताये कि हम लोग नशा करते है पैसा नही था इसी लिये हम लोग चावल की चोरी किया और चोरी किये हुए चावल को हम लोगो ने बेच दिया है और जो पैसा मिला उसको आपस मे बाट लिया था। उसी पैसे मे से बचा पैसा बरामद हुआ है। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्तगणो को मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

- 1-संदीप यादव पुत्र रामकिशन यादव R/O नेतपुर थाना जहानागंज आजमगढ़ उम्र करीब 26।
- 2- जिनोद यादव पुत्र रामबृक्ष यादव निवासी नेतपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष

पंजीकृतअभियोग/आपराधिक इतिहास-

1-मु.अ.स. 303/24 धारा 457/380/411 भादवि थाना जहानागंज आजमगढ़

बरामदगी-

संदीप यादव पुत्र रामकिशन यादव R/O नेतपुर थाना जहानागंज आजमगढ़ के पास से चोरी किये चावल को बेचकर प्राप्त रूपये मे से 460 रूपये व जिनोद यादव पुत्र रामबृक्ष यादव निवासी नेतपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ के पास से 500 रूपया बरामद हुआ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ.नि. सुधांशु मिश्रा थाना जहानागंज आजमगढ़
- 2- हे.का. विवेक त्रिपाठी थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़।

थाना अतरौलिया

किशोरी के साथ दुष्कर्म करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व का विवरण –

दिनांक 03.03.24 को प्रार्थिनी की नाबालिग पुत्री उम्र लगभग 13 वर्ष 06 माह को अभियुक्त गोपाल पुत्र राममूरत उर्फ फग्गु बनवासी सा0 मोहम्मदपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा ईट भट्टे पर छेड़खानी करने व मना करने पर जान से मारने की धमकी दी गयी, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर दिनांक 16.03.24 को वादिनी की लिखित तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 83/24 धारा 354/506 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट बनाम गोपाल पुत्र राममूरत उर्फ फग्गु बनवासी सा0 मोहम्मदपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ के पंजीकृत हुआ व विवेचना हेतु उ0नि0 पवन कुमार शुक्ला को प्राप्त हुआ। साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त को धारा 376/506 आईपीसी व धारा 3/ 4(2) पाक्सो एक्ट में तरमीम किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण:-

दिनांक 17.06.24 को उ0नि0 पवन कुमार शुक्ला मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त गोपाल पुत्र राममूरत उर्फ फग्गु बनवासी सा0 मोहम्मदपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ को बस स्टैण्ड अतरौलिया से समय करीब 09.45 बजे नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को नियमानुसार मा0 न्यायालय/जेल भेजा गया।

पंजीकृत अभियोग –

1-मु0अ0सं0 83/24 धारा 376/506 भादवि 3/4(2) पाक्सो एक्ट थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त –

1-गोपाल पुत्र राममूरत उर्फ फग्गु बनवासी सा0 मोहम्मदपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ उम्र 19 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण –

1. उ0नि0 पवन कुमार शुक्ला 2. का0 रणवीर वर्मा थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़

थाना अतरौलिया
गैर-इरादतन हत्या में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व का विवरण-

दिनांक 14.06.24 को वादिनी श्रीमती कमलावती पत्नी रामबूझ राजभर ग्रा0 सिंहौरा थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ द्वारा विपक्षीगण द्वारा जादू टोने के विवाद को लेकर भद्दी भद्दी गाली गुप्ता देते हुए जान से मारने की नियत से लोहे की पाइप व राड लेकर वादिनी के घर में घुस कर मारना पीटना व शोर करने पर बीच बचाव करने आये वादिनी के पति रामबूझ राजभर व ससुर राम सरन को भी लोहे की पाइप व राड से बुरी तरह से मारना पीटना व जान से मारने की धमकी देने तथा ससुर राम सरन का दवा ईलाज अम्बारी स्थित निजी अस्पताल में होने के सम्बन्ध में थाना अतरौलिया पर मु0अ0सं0 213/24 धारा 307/323/504/506/452/34 भादवि बनाम 1. लक्ष्मण पुत्र राम नरायन 2. विवेक पुत्र राम नरायन 3. रिंकी पुत्री राम नरायन 4. कंचन पुत्री राम नरायन 5. छवि पत्नी राम नरायन 6. नरायन पुत्र भूडोल निवासीगण सिंहोरा थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया। मजरुब रामशरन का ईलाज के दौरान मृत्यु होने के कारण अभियोग उपरोक्त में साक्ष्य संकलन के आधार पर धारा 307 भादवि का विलोपन करते हुए धारा 304 भादवि की बढोत्तरी की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण:-

दिनांक 17.06.24 को उ0नि0 रमेश सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1. रामनारायन राजभर पुत्र भूडोल उम्र 56 वर्ष 2. लक्ष्मण पुत्र रामनारायन उम्र 32 वर्ष निवासीगण सिंहोरा थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ को बुढ़नपुर चौराहे से समय 09.20 बजे पर नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया है।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 213/23 धारा 304/323/452/34/504/506 IPC थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त

1. रामनारायन राजभर पुत्र भूडोल उम्र 56 वर्ष
 2. लक्ष्मण पुत्र रामनारायन उम्र 32 वर्ष निवासीगण सिंहोरा थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़
- आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण -

1. उ0नि0 रमेश सिंह मय हमराह हे0का0 निखिल कुमार, का0 रामसावर व का0 अनिमेष पाल

थाना सरायमीर
दुष्कर्म करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना-

वादिनी मुकदमा थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ ने थाना सरायमीर पर लिखित तहरीर दी कि विपक्षी राजीव कुमार यादव पुत्र लालबहादुर द्वारा अपने पिता लालबहादुर व माता प्रेमवालिका व भाई मिस्टर व भौजाई किरन के साजिश के तहत बुरा कर्म कर वीडियो बनाना ब्लैक मेल करते हुए जेवर व पैसा लेना तथा बच्चो को जान से मारने की धमकी देना तथा दिनांक 09.06.24 को समय लगभग 08.00 बजे रात को मुझे मारपीट कर घायल कर दिया प्रा0पत्र के आधार पर मु0अ0सं0 339/24 धारा 323/384/376/506/120बी/34 भादवि बनाम 1. राजीव कुमार यादव पुत्र लालबहादुर यादव, 2. लालबहादुर यादव पुत्र अज्ञात, 3. प्रेमवालिका देवी पत्नी लालबहादुर यादव, 4. मिस्टर पुत्र लालबहादुर यादव, 5. किरन पत्नी मिस्टर साकि0 कस्बा फत्तेपुर थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़ पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण -

दिनांक 17.06.24 को प्रभारी निरीक्षक यादवेन्द्र पाण्डेय मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त का वांछित अभियुक्त राजीव कुमार यादव पुत्र लाल बहादुर यादव निवासी कस्बा फत्तेपुर थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़ को अभियुक्त के घर समय करीब 10.30 बजे कस्बा फत्तेपुर से हिरासत पुलिस में लिया है, गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त -

1. राजीव कुमार यादव पुत्र लाल बहादुर यादव निवासी कस्बा फत्तेपुर थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0सं0 339/24 धारा 323/384/376/506/120बी/34 भादवि थाना सरायमीर आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाले टीम-

- 1- प्रभारी निरीक्षक यादवेन्द्र पाण्डेय मय हमराह थाना सरायमीर आजमगढ़

थाना- कोतवाली
अपहरण के अभियोग एक अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास-

वादिनी थाना कोतवाली आजमगढ़ द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र कि मेरी बहन दिनांक 11.5.2024 को मेरे रूम पर रहने के लिए आई थी, मेरी बहन को मेरे रूम से राजा पुत्र रामअवध निवासी मोलनापुर थाना निजामाबाद आजमगढ़ जो मेरी बहन को पहले से जानता था दि. 11.5.24 को समय 7 बजे शाम को बहला फुसलाकर भगा ले गया। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर मु0अ0सं0 290/24 धारा 363/366 भादवि दिनांक 13.5.24 को पंजीकृत किया गया। विवेचना प्रचलित है।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण-

दिनांक 16.6.24 को उ0नि0 राज नारायण पाण्डेय, मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1. राज उर्फ राजा पुत्र रामअवध निवासी मोलनापुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ उम्र 20 वर्ष को भवरनाथ से मऊ जाने वाली बाईपास रोड से समय 16.15 बजे गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

राज उर्फ राजा पुत्र रामअवध निवासी मोलनापुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ उम्र 20 वर्ष

पंजीकृत अभियोग- 1. मु0अ0सं0 290/24 धारा 363,366,376 भादवि ¾ पाक्सो एक्ट थाना कोतवाली आजमगढ़

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तारी करने वाली टीम - उ0नि0 राज नारायण पाण्डेय, हे0कां0 सतीश यादव, कां0 अरूण यादव, कां0 नीरज, कां0 अखिलेश यादव थाना कोतवाली आजमगढ़

साइबर क्राइम थाना आजमगढ़ ।

सोशल मीडिया पर फर्जी मार्केटप्लेस पेज बनाकर लेदर शूज व् बैग बेचने के नाम पर सैकड़ों लोगो से ऑनलाइन साइबर ठगी करने वाला अभियुक्त मो० अब्दुल्ला गिरफ्तार ।

आवेदक एच अहमद अब्दुल कद्वार निवासी 72 डी रेलवे फीडर रोड जनपद तेनकासी तमिलनाडु ने श्रीमान पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ को प्रार्थना पत्र दिया की किसी सोशल मीडिया (Instagram, Youtube) पर फर्जी मार्केटप्लेस पेज बनाकर महंगे लेदर शूज सस्ते दाम पर बेचने के नाम पर मुझसे पैसे अपने बैंक खाते में जमा करा लिया है और ऐसे ही इस व्यक्ति ने सैकड़ों लोगो के साथ ऑनलाइन ठगी किया है।

उक्त शिकायत पर तत्काल संज्ञान लेते हुए अपराध के सफल अनवारण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु श्री अनुराग आर्य, पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ के निर्देशानुसार एवं विवेक त्रिपाठी, अपर पुलिस अधीक्षक अपराध के पर्यवेक्षण में तकनीकी संसाधनों का प्रयोग करते हुए साइबर क्राइम थाना परिक्षेत्र आजमगढ़ टीम द्वारा अभिसूचना संकलन करके कार्यवाही प्रारम्भ की गयी तो उक्त प्रार्थना पत्र की जाँच से मो० अब्दुल्ला पुत्र बिस्मिल्लाह निवासी म० न० 522 गुलामी का पूरा थाना कोतवाली आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया। कल दिनांक 16-06-2024 को श्री विमल प्रकाश राय, प्रभारी निरीक्षक साइबर क्राइम थाना व् टीम उपरोक्त जाँच में मामूर थे की जरिये लोकेशन के आधार पर प्रकाश में आये व्यक्ति मो० अब्दुल्ला पुत्र बिस्मिल्लाह निवासी म० न० 522 गुलामी का पूरा थाना कोतवाली आजमगढ़ को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया तथा उसके पास से अपराध में प्रयुक्त मोबाइल फ़ोन बरामद किया गया। तत्पश्चात आरोपी को मु0अ0सं0 16/2024 धारा 419, 420, 406, 467, 468 , 471 IPC व 66C, 66D IT Act में मा0 न्यायालय सी0जे0एम0 आजमगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

पूछ-तांछ अभियुक्त- अभियुक्त मो० अब्दुल्ला से उक्त अपराध के सम्बन्ध में पूछ-तांछ की गयी तो बताया की साहब मै Btech किया हूँ तथा वेबसाइट डेवलपर का काम करता हूँ . पैसे के लालच में आकर मै फेसबुक मार्केटप्लेस ऐप्स, Instagram, youtube चैनल्स व् whatsapp पर फर्जी SHOE HEAVEN के नाम से फर्जी पेज बनाकर उसका कैंटलाग बनाकर डालता था जिसको लोगो द्वारा ऑनलाइन सोशल मीडिया पर जूतों व् बैग कि डिजाइन देखकर मुझे मेरे मोबाइल नंबर पर मेसेज भेजकर आर्डर बुक करते थे और मेरे द्वारा उन्हें पहले आर्डर हेतु ऑनलाइन पेमेंट करने हेतु कहा जाता था. जो मै QR कोड व् UPI आईडी उनको भेजकर अपने व् जानने वलो के बैंक खाता में जमा करता था. पैसा प्राप्त होने के बाद उन लोगो को मै ब्लॉक कर देता था. और उनके जूतों कि डिलीवरी ना कर उनके आर्डर के पैसे रख लेता था , और उनको फर्जी डिस्पैच बिल, केश मेमो तैयार कर भेजकर धोखाधड़ी करता था ऐसे ही मै लगभग सैकड़ों लोगो के साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी करके अब तक करीब 10 लाख रुपया कमा चुका हु |

बरामदगी

1-अपराध में प्रयुक्त मोबाइल फ़ोन

अभियुक्त का विवरण

1-मो० अब्दुल्ला पुत्र बिस्मिल्लाह निवासी म० न० 522 गुलामी का पूरा थाना कोतवाली आजमगढ़

अभियोग का विवरण

1-मु0अ0सं0 16/2024 धारा 419, 420, 406, 467, 468 , 471 IPC व 66C, 66D IT Act साइबर क्राइम थाना आजमगढ़

गिरफ्तारी टीम

1- निरीक्षक श्री विमल प्रकाश राय, मु0आ0 मनीष सिंह, का० संजय कुमार, का० सभाजीत मौर्या, का० महिपाल यादव, - साइबर क्राइम थाना आजमगढ़